

पटना में दिनांक-02 जुलाई, 2020 वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

**कला, संस्कृति एवं युवा विभाग**

1. एन०सी०सी० अंशकालीन पदाधिकारियों एवं कैडेटों को सेलिंग/साईक्लिंग इक्सपेडिसन सहित अन्य प्रशिक्षण शिविर आयोजन के दौरान भोजन भत्ता के दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति के संबंध में। 1. स्वीकृत।

**स्वास्थ्य विभाग**

3. डा० विनय कुमार लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पोठिया, किशनगंज को दिनांक-11.02.2012 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। 3. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

4. जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रारूप पर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 4. स्वीकृत।

**शिक्षा विभाग**

6. पंचायतीराज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के सेवाशर्त में सुधार हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1529 दिनांक-11.08.2015 के तहत गठित समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति। 6. स्वीकृत।

**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग**

7. (क) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढीकरण एवं विस्तार हेतु स्थापना एवं प्रतिवद्ध व्यय (पूर्व में गैर योजना) मद में वित्तीय वर्ष-2020-21 में अनुमानित कुल-₹398498953/- (उनचालीस करोड़ चौरासी लाख अनठानवें हजार नौ सौ तिरपन रुपये) मात्र का वार्षिक वित्तीय व्यय के अन्तर्गत कुल-641 स्थायी पदों एवं कुल-03 संविदा आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। 7. स्वीकृत।  
(ख) पूर्व से सृजित मुख्य अभियंता (नागरिक), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना का पदनाम मुख्य अभियंता (असैनिक), दक्षिणी बिहार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (मुख्यालय), पटना के रूप में परिवर्तित करने की स्वीकृति के संबंध में।